23.

बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

पटना, दिनांक–.....

का0आ0सं0–AL-942/66/2022-SEC_8-REPD-1267/–श्री अशोक कुमार, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, शिवहर संप्रति बर्खास्त द्वारा जिला निबंधन कार्यालय, अररिया के पदस्थापन अवधि (2014) में दिनांक 26.08.2013 को योगदान के पश्चात् बिना किसी सूचना के जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 तक कुल 184 दिन, फरवरी 2015 से अगस्त 2015 तक कुल 212 दिन, सितम्बर 2015 से नवम्बर 2015 तक कुल 91 दिन, जनवरी 2016 में कुल 16 दिन, फरवरी 2016 से मार्च 2016 तक कुल 59 दिन, अगस्त 2016 से दिसम्बर 2016 तक की अवधि में कुल 61 दिन तदोपरांत दिनांक–01.01.2019 को योगदान समर्पित करने के पश्चात पुनः बिना किसी सूचना के 19.01.2020 तक कुल 383 दिन अनुपस्थित रहे हैं। इस प्रकार श्री कुमार द्वारा कुल 1006 दिनों तक बिना किसी सूचना के कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोप के फलस्वरूप श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय आदेश–254 दिनांक–11.01.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दंड संसूचित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध आरोपी कर्मी द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 23 के अन्तर्गत समर्पित अपील अभ्यावेदन पर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक–08.10.2025 को सुनवाई की गयी।

2. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रस्तुत संचिका/अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि श्री अशोक कुमार, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, शिवहर संप्रति बर्खास्त द्वारा जिला निबंधन कार्यालय, अररिया के पदस्थापन अवधि (2014) में अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत प्रमाणित आरोप एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश से विभागीय आदेश–254 दिनांक–11.01.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित दंडादेश की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 27 के अधीन निम्न मानकों पर की गयीः–

(क) क्या अनुशासनिक प्राधिकार ने दंडादेश पारित करने के क्रम में नियमावली में विहित प्राक्रियाओं सर्वथा पालन किया है, यदि नहीं तो क्या ऐसा अनुपालन नहीं किये जाने से भारत के संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है अथवा न्याय नहीं हो पा रही है :

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकार का निष्कर्ष अभिलेख पर रखे गये साक्ष्य द्वारा समर्थित है।

(ग) क्या अधिरोपित शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है;

4. अपीलार्थी के अपील आवेदन के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के क्रम में एवं अपील आवेदन में अपना पक्ष रखा है कि आरोप गठन के विरूद्ध उनके द्वारा अपने बचाव में सारे तथ्यों एवं बचाव साक्ष्यों को निबंधित डाक द्वारा भेजा था किंतु उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी कर्मी द्वारा अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। आरोपी कर्मी द्वारा स्वीकार किया गया कि

24.09.26

(5)

लम्बी बीमारी के कारण वे कार्यालय से अनुपस्थित रहें। आरोपी कर्मी लिखित में या सुनवाई के क्रम में उपलब्ध कराये गये साक्ष्य से स्पष्ट नहीं कर पाये कि उन्होने समय समय पर अपने पदस्थापित कार्यालय में अपने नियंत्री पदाधिकारी को विधिवत पत्र/ई–मेल/स्वयं उपस्थित होकर/किसी अन्य विधिमान्य तरीके से उपस्थिति/अनुपस्थिति के संदर्भ में सूचित किया है। आरोपी कर्मी के द्वारा कोई ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके द्वारा कार्यालय से अनुपस्थिति की स्थिति में किसी मान्य प्रक्रिया का पालन किया गया हो। आरोपी कर्मी के विरूद्ध कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। निष्कर्ष जॉच पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से समर्थित है। आरोपित कर्मी के विरूद्ध अधिरोपित दंड समानुपातिक एवं पर्याप्त हैं

7. अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपीलार्थी श्री अशोक कुमार, बर्खास्त निम्नवर्गीय लिपिक के अपील आवेदन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम 27 (3) के अन्तर्गत खारिज करते हुए निबंधन महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट किया गया है।

8. अतएव उक्त के आलोक में श्री अशोक कुमार, बर्खास्त निम्नवर्गीय लिपिक के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

9. इसमें विभागीय सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– AL-942/66/2022-SEC_8-REPD- 1267 /– पटना, दिनांक– 24.02.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, शिवहर/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, अररिया/डॉ0 संजय कुमार, उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ/जिला कोषागार पदाधिकारी, अररिया/जिला कोषागार पदाधिकारी, शिवहर जिला अवर निबंधक, शिवहर/जिला अवर निबंधक, अररिया/प्रशाखा पदाधिकरी, प्रशाखा–06/आई0टी/मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री अशोक कुमार,बर्खास्त निम्नवर्गीय लिपिक, ग्राम–सपता, जिला मधुबनी, पिन कोड–847214, बिहार। मो0–7050481737, 8210740020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

24.02.26